देश में दूरभाष केन्द्रों का आधुनिकीकरण

3392. **श्री राम अवधेश सिंह:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कितने बड़े, मझौले और छोटे दूरभाष केन्द्रों का आधुनिकीकरण किया गया है और इन पर खर्च किये गये धन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में दूरभाष के आधुनिकीकरण पर व्यय किये गये धन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में प्रत्येक गांव में दूरभाष सुविधा मुहैया कराने पर कितने खर्च किये जाने की संभावना है और आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में दूरभाष के आधुनिकीकरण के कार्य पर कितना धन खर्च किये जाने की संभावना है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र की भारतीय कम्पनियों, गैर सरकारी क्षेत्र की भारतीय और विदेशी कम्पनियों की संख्या और ब्यौरा क्या है जो आधुनिकीकरण का काम करेगी?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) (क) और (ख) 7वीं योजना के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों तथा नेटवर्क के आधुनिकीकरण के संबंध में उपलब्ध सूचना विवरण में दी गई है। **(नीचे देखिए)**

(ग) वर्ष 2000 तक प्रत्येक ग्राम में कम से कम एक टेलीफोन प्रदान करने के संभावित व्यय के संबंध में 1991 के मूल्यों पर 6,900 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के मसौदा प्रस्तावों में दूरसंचार नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए 3200 करोड़ रूपए के परिव्यय का परिकलन किया गया है जिसमें आटोमेटिक बनाने का कार्यक्रम, प्रतिस्थापन कार्यक्रम, डक्टिंग, कंप्यूटरीकरण शामिल है लेकिन इसमें आधुनिकीकरण के अन्य कार्य जैसे विस्तार के लिए डिजिटल इलेक्ट्रानिक क्षमता को बढ़ाना शामिल नहीं है।

(घ) दूरसंचार नेटवर्क को आधुनिक बनाए जाने का कार्यक्रम दूरसंचार विभाग तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम स्वत:) आवश्यक रूप से करते हैं।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/दूरसंचार सर्किल	7वीं योजना के दौरान जोड़े गए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की कुल सं० (संख्या)	7वीं योजना के दौरान जोड़ी गई निवल इलेक्ट्रानिक क्षमता (लाइनें)	7वीं योजना के दौरान आधुनिकीकरण से सहित स्थानीय टेलीफोन प्रणाली पर व्यय (करोड़ रु० में)
1.	आंध्र प्रदेश	48	68722	364.83
2.	असम	9	11576	17.63
3.	बिहार	20	25052	108.63
4.	गुजरात	32	65180	494.49
5.	हरियाणा	38	14920	109.38
6.	हिमाचल प्रदेश	13	4760	36.24
7.	जम्मू व कश्मीर	11	4036	36.90
8.	कर्नाटक	82	65562	431.94
9.	केरल	30	13045	386.70
10.	मध्य प्रदेश	107	35856	248.54
11.	महाराष्ट्र	44	54710	412.13
12.	उत्तर-पूर्व	11	7522	38.99*
13.	उड़ीसा	41	11632	79.99
14.	पंजाब	37	44064	204.63
15.	राजस्थान	35	38125	174.13
16.	तमिलनाडु	30	12755	343.61
17.	उत्तर प्रदेश	84	75810	318.70
18.	पश्चिम बंगाल	6	3776	66.23
19.	उत्तर-पश्चिम	—	—	56.10**

*योजना के पहले दो वर्षों में असम शामिल है।

**योजना के पहले दो वर्षों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा शामिल है।

क्रम सं॰	राज्य/दूरसंचार सर्किल	7वीं योजना के दौरान जोड़े गए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की कुल सं॰ (संख्या)	7वीं योजना के दौरान जोड़ी गई निवल इलेक्ट्रानिक क्षमता (लाइनें)	7वीं योजना के दौरान आधुनिकीकरण से सहित स्थानीय टेलीफोन प्रणाली पर व्यय (करोड़ रु॰ में)
20.	बम्बई	8	246764	154.69
21.	दिल्ली	26	283500	
22.	कलकत्ता	14	90000	293.29
23.	मद्रास	10	60400	259.39

Demand for the Hike in Pay Scales of Postmen

3393. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the MINISTER OF COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have received any memorandum from the organisation of Postmen regarding hike in their pay-scales and for other menetary benefits; and

(b) if so, what are the details in this regard and what action Government propose to take thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached.

Statement

Demands of Postmen Unions and Government's reaction thereto

Item No.	Demand	Action taken/Reaction of the Govt.
1.	Upgradation of the pay scale of Postmen from Rs. 825-1200 to Rs. 950-1500 consequent on raising the essential qualification from middle pass to matriculation at the time of initial recruitment.	The 4th Pay Commission have duly considered all the aspects involved in the discharge of duties of a postman including the need for higher educational qualification, while recommending higher pay scale of Rs. 825-1200. There is, therefore, no scope for further revision of pay scale of postmen.
2.	Grant of pay scale of Rs. 1200-1800 to postmen on completion of 26 years of service.	It has not been possible to accept this demand in order to maintain internal relativity with other postal cadres with regard to qualification job requirement etc.